<u>एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स,उ०प्र०</u>

<u>प्रेस नोट</u>

दिनांक 21.09.2023

ए०एन०टी०एफ० ऑपरेशनल यूनिट बरेली एवं थाना बिथरी चैनपुर #bareillypolie की संयुक्त टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 04 सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 300 ग्राम स्मैक (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 30 लाख रूपये), 360 /- रूपये नगद व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल बरामद।

श्रीमान् विशेष पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, उ०प्र० लखनऊ के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय, एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश एवं अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ,ए०एन०टी०एफ० लखनऊ के पर्यवेक्षण में श्रीमान् पुलिस उपाधीक्षक एएनटीएफ, मेरठ के नेतृत्व में ए०एन०टी०एफ० यूनिट बरेली व थाना-बिथरी चैनपुर, जनपद-बरेली की संयुक्त टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 04 सक्रिय सदस्यों क्रमश: 1. जितेन्द्र यादव पुत्र महिपाल सिंह यादव निवासी ग्राम रजनापुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली 2. अभिषेक यादव पुत्र राजीव सिंह निवासी ग्राम रजनापुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली 3.लक्ष्मण यादव पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम मंसूरपुर थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहांपुर 4. अश्वनी यादव पुत्र सतीश कुमार सिंह निवासी ग्राम मंसूरपुर थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहांपुर को दिनांक 21.09.2023 को समय करीब 14.00 बजे बिथरी चैनपुर थानान्तर्गत, शाहजहांपुर की तरफ रजऊ पुलिस चौकी से पहले वाले एच.पी. के पेट्रोल पम्प के सामने हाईवे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से **300 ग्राम स्मैक (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 30 लाख रुपये), 360/- रूपये नगद व घटना प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर- यू0पी0 25-बीसी-9788,** बरामद कर , इस सम्बन्ध में थाना-बिथरी चैनपुर, जनपद-बरेली में **मु0अ0सं0-379 / 2023 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट 1985** का अभियोग पंजीकृत कराकर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा गहनता से अलग-अलग व संयुक्त पूछताछ करने पर बताया कि उपरोक्त स्मैक/हेरोईन के विषय में पूछताछ की गयी तो अभियुक्त लक्ष्मण यादव द्वारा बताया गया कि सर हम लोग स्मैक का काम करते हैं ये स्मैक/हेरोईन मै शहाजहांपुर रेलवे स्टेशन के पास से एक व्यक्ति से लाया था जिसका नाम पता मै नही जानता हु से लेकर आया था तथा ये तीनो लोग जो मेरे साथ पकडे गये हैं ये मेरी माल को बिकवाने मे मदद करते है। यहां हाइवे पर हमें फुटकर के ग्राहक मिल जाते हैं हम उन्ही को अपना माल बेच देते हैं और मुनाफा कमाते हैं। पूरा माल बिकने के बाद हम मुनाफे का पैसा आपस में बांट लेते हैं। आज भी हम यह माल बेचने के हिसाब से लाये थे कि आज हमारा माल आपने पकड लिया है। हम लोग पैसे कमाने की नियत से इस अवैध करोबार में लिप्त हैं। साहब हमसे गलती हो गयी, माफ कर दीजिये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. जितेन्द्र यादव पुत्र महिपाल सिंह यादव निवासी ग्राम रजनापुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली।
2. अभिषेक यादव पुत्र राजीव सिंह निवासी ग्राम रजनापुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली।
3. लक्ष्मण यादव पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम मंसूरपुर थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहांपुर
4. अश्वनी यादव पुत्र सतीश कुमार सिंह निवासी ग्राम मंसूरपुर थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहांपुर

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 -379/ 2023, धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट 1985, थाना-बिथरी चैनपुर, जनपद-बरेली।

गिरफतारी का स्थान, दिनांक व समय-

दिनांक- 21.09.2023 को समय करीब 14.00 बजे, थाना बिथरी चेनपुर थानातर्गत शाहजहांपुर की तरफ रजऊ पुलिस चौकी से पहले वाले एच.पी. के पेट्रोल पम्प के सामने हाईवे से गिरफतार किया गया।

बरामदगी का विवरण-

1. 300 ग्राम स्मैक
2. 360 /- रूपये नकद
3. एक अदद मोटर साइकिल स्प्लेण्डर रंग काला रजिस्ट्रेशन नम्बर- यू०पी० 25-बीसी-9788

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण-

ए०एन०टी०एफ० टीम यूनिट बरेली-

1. उ0नि0 श्री विकास यादव, एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट, बरेली।
2. हे0का0 श्री दिनेश कुमार, एएनटीएफ मुख्यालय, लखनऊ।
3. का० सौरभ चौधरी, एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट, बरेली
4. का0 अंकित यादव, एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट, बरेली।
5. का0 कुश कुमार, एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट, बरेली।
6. म0का0 रिजवाना राव, एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट, बरेली।

पुलिस टीम थाना- बिथरी चैनपुर, जनपद-बरेली।

1. प्रभारी निरी0 श्री अश्वनी कुमार, थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली
2. उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली
3. उ0नि0 श्री सनी थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली
4. का0 3827 विपुल कुमार थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली।

सहयोगार्थ सर्विलांस टीम मुख्यालय एएनटीएफ लखनऊ

1. एएसआई (एम) श्री राजेश मिश्रा
2. का0 अखलाख अहमद